

17-2-26

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित नहीं  
प्रकरण में वकील वादी को पूर्व में साक्ष्य वादी पेश  
करने का अवसर इस निर्देश के साथ दिया गया  
था कि आगामी पेशी पर साक्ष्य वादी पेश नहीं  
की गई तो साक्ष्य वादी का अवसर बन्द समझा जावेगा  
किन्तु इस निर्देश के बाद भी पत्रावली में साक्ष्य एवं  
वादी गवाह पेश नहीं किये जाने से पत्रावली में साक्ष्य  
वादी बन्द कि जाती है। पत्रावली में वकील वादी व  
वादी गवाह को न्यायालय में बार बार अवाजे लगाई  
गई किन्तु सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने  
से दवा अदम हाजरी अदम खरवी अदम सबूत  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार  
हो कर नम्बर से काम हो।